न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 68 / 2022(2022 / 227)

1. रामचन्द पुत्र बालू जाति बलाई निवासी पारा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश बैरवा पुत्र लादू बैरवा निवासी पारा।
2. जोरू बैरवा पुत्र भीवडा बैरवा जाति निवासी पारा।
3. गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण निवासी पारा।
4. बजरंग पुत्र गज्जू माली निवासी पारा
   समस्त निवासीगण पारा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
5. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–
प्रार्थी वकील :– श्री अब्दुल सलीम गौरी
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 6.7.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम पारा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2069–76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
610–557	1679	1.82	बारानी 1
	कुल किता 1	रकबा 1.82हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थी ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा हैं। इस प्रकार वर्णित आराजी एकमात्र प्रार्थी के कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग की आराजी है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगडा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 5 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 5 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थिति है। प्रार्थी द्वारा अपने आराजीयात पर पत्थरगढी कराने के आदेश करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर) केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वय की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा [illegible]8 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–76 के खाता संख्या नया पुराना 610–557 के खसरा संख्या 1679 , रकबा 1.82हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिको की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner